पत्रांक–2/टी०–03/2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक / /2026

विषय : चिकित्सकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–1294(2), दिनांक–29.07.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तत्समय (वर्ष 2025 में) कतिपय जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तथा पर्व त्योहारों में होने वाले भीड़–भाड़ के दृष्टिकोण से पूर्णत अस्थायी रूप से आवश्यकतानुसार प्रशाासनिक दृष्टिकोण से एवं आमलोगों के हित में चिकित्सकों को अपने जिलान्तर्गत अन्यत्र चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित करने हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को इस शर्त्त के साथ निदेशित किया गया था कि ऐसे सभी आदेशों की घटनोत्तर सम्पुष्टि विभाग में प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी रूप से विशेष परिस्थिति में मात्र उसी वर्ष के लिये लागू की गयी थी। अतः उक्त पत्र के आधार पर भविष्य में कोई स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाय। अगर पूर्व में सशर्त्त कोई स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति की गयी है तो उसे तत्काल प्रभाव से विलोपित समझा जाय। अगर आवश्यक हो तो जिला पदाधिकारी अनुशंसा एवं औचित्य के साथ प्रस्ताव विभाग को दें।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–839(2) दिनांक–01.07.2015 पत्रांक–1161(2) दिनांक–04.08.2016, पत्रांक–1350(2) दिनांक–18.07.2019 एवं पत्रांक–507(2) दिनांक–26.07.2023 के माध्यम से जिला स्तर से चिकित्सा पदाधिकारियों के अनावश्यक प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा स्पष्ट निदेश दिये गये है। इसके बावजूद इस आशय की सूचना/शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दिया जा रहा है। विभागीय संपुष्टि के बिना प्रतिनियुक्ति होने से कई प्रशासनिक जटिलतायें उत्पन्न होती हैं। कई बार इससे संबंधित वाद माननीय न्यायालय में भी दायर किया जाता है जिससे अनावश्यक रूप में विभाग का कार्यबोझ बढ़ता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि विभाग द्वारा स्थान विशेष पर पदस्थापित चिकित्सकों को विभागीय पूर्वानुमति के बिना जिला स्तर से कदापि अन्यत्र प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाय। विशेष परिस्थिति में विभाग की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(कुमार रवि)
सचिव

ज्ञापांक–2/टी०–03/2025– 1487(2) **पटना, दिनांक** 30/6/**2026**

प्रतिलिपि : सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/26
सचिव।

Desk-02>Dhan>Draft>letter>Vikas>26